उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-1
संख्या- 05/2021/ 1179 /12-1-20-112/20
लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री, अपर कृषि निदेशक (उ0प्र0 कृषि सेवा समूह-क पद) को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कृषि निदेशक स्तर (वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0-10000/- मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20764/2019 अशोक कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-19564(एस0एस0)/2019 आनन्द कुमार त्रिपाठी व सुनील कुमार अग्निहोत्री बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-21053(एस0एस0)/2019 इन्द्रदेव सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका सं0-22815(ए0एस0)/2019 डा0 अशोक तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19-01-2021 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-2205/2021 राज्य सरकार व अन्य बनाम डा0 पंकज त्रिपाठी व अन्य में पारित आदेश एवं समान विषय पर योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4- यह आदेश दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी माना जायेगा।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या- 05/2021/1179 (1)/12-1-21-112/20, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) अपर कृषि निदेशक (प्रशासन), कृषि भवन, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
(6) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, प्रयागराज को आगामी गजट अंक में प्रकाशनार्थ।
(8) संबंधित अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

यतीन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in